राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(53)(एफसी) परि/नियम/मु./2014/27737 जयपुर, दिनांकः 19-01-17

कार्यालय आदेश...3....../2017

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 1183(ई) दिनांक 29.12.2016 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम,1989 के नियम 32 एवं 81 में संशोधन किया जाकर विभिन्न सेवाओं की फीस राशि में वृद्धि की गई है। इस अधिसूचना की प्रति पूर्व में सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को जरिये ई-मेल दिनांक 06.01.2017 को प्रेषित की जा चुकी है। सभी कार्यालयों द्वारा संशोधित फीस की वसूली सुनिश्चित की जावें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संशोधित फीस में वाहन को फिटनेस जारी करते समय वाहन के निरीक्षण की फीस को क्रमशः दो भागों में विभक्त कर वाहनों के मैनुअल इंस्पैक्शन एवं ऑटोमेटेड इंस्पैक्शन हेतु पृथक्-पृथक् फीस का निर्धारण किया गया है। पृथक्-पृथक् फीस के निर्धारण के परिणामस्वरूप कुछ परिवहन कार्यालयों द्वारा फीस की वसूली को लेकर संदेह व्यक्त किया गया है। उक्त नियम 81 की सारणी के स्तम्भ संख्या 2 के क्रम संख्या 10 के सम्मुख स्तम्भ संख्या 3 में वाहनों के प्रकार के अनुसार फिटनेस जारी करने व नवीनीकरण हेतु फिटनेस जांच हेतु राशि का निर्धारण किया गया है:-

वाहन का प्रकार	फीस की राशि
(अ) मोटर साईकिल	(i) मैनुअलः दो सौ रूपये (ii) ऑटोमेटेडः चार सौ रूपये
(ब) तिपहिया अथवा हल्का मोटर यान अथवा चौपहिया साईकिल	(i) मैनुअलः चार सौ रूपये (ii) ऑटोमेटेडः छह सौ रूपये
(स) मध्यम अथवा भारी मोटर यान	(i) मैनुअलः छह सौ रूपये (ii) ऑटोमेटेडः एक हजार रूपये

उक्त संशोधन के फलस्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिवहन जिले जहां कार्यालय आदेश संख्या 09/2011 के अन्तर्गत अधिकृत निजी फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित है, द्वारा उपरोक्त वर्णित सारणी में वाहन के प्रकार के अनुसार फिटनेस जारी करने अथवा नवीनीकरण हेतु फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड मोड हेतु निर्धारित फीस की राशि वसूल

की जानी है, वहीं ऐसे परिवहन कार्यालय जहां वाहन की फिटनेस की जांच मैनुअली की जाती है, द्वारा उक्त अधिसूचना में मैनुअल मोड हेतु निर्धारित फीस राशि ही वसूल की जानी है।

अतः फिटनेस जारी करने एवं फिटनेस के नवीनीकरण हेतु वाहनों के निरीक्षण हेतु उपरोक्तानुसार वृद्धिकृत फीस की राशि की वसूली जाना सुनिश्चित की जावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन स्थापित अधिकृत निजी फिटनेस जांच केन्द्रों को भी उपरोक्तानुसार संशोधित बढ़ी हुई फीस की राशि से अवगत करवाया जावें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। 27738-41
क्रमांकः प.7(53)(एफसी) परि/नियम/मु./2014/ जयपुर, दिनांकः 19-01-17

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)..............................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

19/1/2017

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)